फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

राकेश कुमार जैन **बनाम** ग्रांम विकास अधिकारी

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 27 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8.6.2023	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट राकेश कुमार जैन पुत्र शिवलाल जैन वार्ड न.9 पहाडी जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी पहाड़ी के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न किये फोटो प्रति पत्र उपखण्ड अधिकारी, पहाड़ी दिनांक 29.3.2023 के अवलोकन से जाहिर आया कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचनां पंचायत समिति पहाड़ी से सम्बन्धित होने के कारण उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी ने आपका प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पहाड़ी को जरिये पत्र क्रमांक/ आरटीआई / 2022–23 / 397 दिनांक 29.3.2023 से प्रेषित किया गया है, जिसकी सूचना आपको भी दी गई है। लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी पहाड़ी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है। चूँकि आर.टी.आई. के तहत विकास अधिकारी पहाड़ी के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पचांयत समिति पहाड़ी का है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस कर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पचांयत समिति पहाड़ी के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	392 14/6/23 मूल अपील वापस